प्रेस नोट दिनांक 09–08–2019

थाना तीतरो पुलिस द्वारा लूट की घटना में वांछित 10,000/–रूपये का ईनामी बदमाश लूट के 2200/–रूपये नगद, ड्राइविंग लाइसेन्स की छायाप्रति व अवैध असलहा सहित किया गिरफ्तारः–

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा ईनामियां अभियुक्तों के विरूद्व चलाये जा रहे धरपकड अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण श्री विद्यासागर मिश्र व क्षेत्राधिकारी गंगोह श्री रामशरण सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08–08–2019 को समय 18:30 बजे थाना तीतरो पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम कोलाखेडी से आगे धानवा तिराहे से एक शातिर अभियुक्त अमित उर्फ मोनू सैनी पुत्र अनिल उर्फ लीला निवासी ग्राम धानवा थाना तीतरो, सहारनपुर को लूट के 2200/–रूपये नगद, 01 ड्राईविंग लाईसेन्स की छायाप्रति व 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना तीतरो पर पंजीकृत मु0अ0सं0 53/2019 धारा 392 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 10,000/–रुपये का ईनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना तीतरो पर मु0अ0सं0 63/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1–अमित उर्फ मोनू सैनी पुत्र अनिल उर्फ लीला निवासी ग्राम धानवा थाना तीतरो, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः–

1–लूट के 2200/–रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस।

3–01 ड्राईविग लाइसेन्स की छायाप्रति।

पूछताछ का विवरणः–

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 16–07–2019 को मै व मेरे साथी सागर गुर्जर पुत्र नेत्रपाल निवासी रादौर थाना तीतरो सहारनपुर व पोपीन पुत्र रकम सिंह निवासी कुतुबखेडी थाना गंगोह, सहारनपुर ने मिलकर रजवाहे की पटरी पर एक व्यक्ति को उसकी मोटर साइकिल में टक्कर मारकर गिरा दिया तथा सागर व पोपीन ने मोटर साइकिल से उतरकर उसके बैग को छीनकर भाग गये। बैग में करीब 20,000/–रूपये नगद मिले थे तथा एक टैबलेट सैमसंग कम्पनी, एक मोबाइल फोन ओप्पो कम्पनी व पर्स में कुछ कागजात आधार कार्ड, वोटर आईडी व पैमेट शैडयूल प्रमाण पत्र व कागजात थे। लूट के रूपयो में से मैने 6000–6000/–रूपये अपने साथी सागर व पोपीन को दिये थे। बाकि 8000/–रूपये मेरे पास बच गये थे। बरामद रुपये व लाईसेन्स उसी लूट के है बाकि के रुपये खर्च हो गये है तथा बाकि का सामान मैने गन्देवडा के पास कही फेंक दिया था। दिनांक 22–07–2019 को सागर व पोपीन को गंगोह पुलिस ने मुठभेड के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः–

1–मु0अ0सं0 159/15 धारा 364ए,394,302 भादवि थाना सदर बाजार, सहारनपुर।

2–मु0अ0सं0 137/12 धारा 379, 411 भादवि थाना तीतरो, सहारनपुर।

3–मु0अ0सं0 164/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना तीतरो, सहारनपुर।

4–मु0अ0सं0 42/18 धारा 110 जी द0प्र0सं0 थाना तीतरो, सहारनपुर।

5–मु0अ0सं0 04/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तीतरो, सहारनपुर।

6–मु0अ0सं0 63/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तीतरो, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना तीतरो, सहारनपुर।

2–का0 265 भूपेन्द्र मान थाना तीतरो, सहारनपुर।

3–का0 604 प्रदीप कुमार थाना तीतरो, सहारनपुर।